न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,बलिया
उपस्थित : नरेन्द्र कुमार सिंह,उ.प्र.न्यायिक सेवा
अपराधिक वाद स.1380 / 13
देव नरायन सिंह बनाम उपेन्द्र साहनी ।

परक्राम्य लिखत अधिनियम1881 की धारा 138

थाना–कोतवाली जनपद बलिया

निर्णय

अभियुक्त उपेन्द्र साहनी का विचारण परिवादी शिव कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर परक्राम्य लिखत अधिनियम1881 की धारा 138 के अपराध में आहूत कर किया गया है।

सक्षेंप में परिवादपत्र का कथन इसप्रकार है कि दिनांक 16.01.13 को परिवादी देव नरायन सिंह सा.राजपूत नेवरी थाना कोतवाली जनपद बलिया से अभियुक्त उक्त ने दो लाख रूपया जल्द वापस कर देने की शर्त के साथ उधार लिया और उक्त धनरशि के भुगतान हेतु अभियुक्त ने परिवादी को चेक दिया,जिसे भुगतान हेतु परिवादी ने अपने बचत खाता में जमा किया।किन्तु उक्त धनराशि का भुगतान निधि कम होने के कारण नहीं हो पाया और इस बावत नोटिस भी परिवादी द्वारा दी गयी। किन्तु अभियुक्त द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। तब परिवादी ने यह परिवाद प्रस्तुत किया।

अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित आया और अपनी जमानत कराया।ततपश्चात अभियुक्त का बयान मुलजिम अंकित किया गया है,जिसमें अभियुक्त ने लगाये गये अपराध को गलत होना बताया तथा मुकदमा को रंजिशन चलना बताया।

परिवादी ने धारा254 द.प्र.सं. के तहत स्वंय को पी.डब्लू–1 के रूप में परीक्षित कराया है। अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नही कराया है।

अभियुक्त का बयान धारा 313 द.प्र.सं. अंकित किया गया है,जिसमें परिवादपत्र के कथानक से अभियुक्त ने इन्कार किया और गवाहों द्वारा रंजिशन गवाही देना बताया तथा सफाई देना नहीं चाहा। अतः अभियुक्त का सफाई का अवसर समाप्त किया गया।

मैनें उभयपक्ष के विद्वांन अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली का अनुशीलन किया।

अभियुक्त पर परक्राम्य लिखत अधिनियम1881 की धारा 138 का आरोप इस आशय का लगाया गया है कि दिनांक 16.01.13 को

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPBL040009592013/truecopy/order-1.pdf

परिवादी देव नरायन सिंह सा.राजपूत नेवरी थाना कोतवाली जनपद बलिया से अभियुक्त उक्त ने दो लाख रूपया जल्द वापस कर देने की शर्त के साथ उधार लिया और उक्त धनराशि के भुगतान हेतु अभियुक्त ने परिवादी को चेक दिया,जिसे भुगतान हेतु परिवादी ने अपने बचत खाता में जमा किया।किन्तु उक्त धनराशि का भुगतान निधि कम होने के कारण नहीं हो पाया।जिसे सावित करने के लिये परिवादी की ओर से स्वंय को पी.डब्लू–1के रूप में परीक्षित कराया गया है।

साक्षी पी.डब्लू–1 देव नरायन सिंह जो कि इस मामलें का परिवादी है, ने अपने साक्ष्य अर्न्तगत धारा 254 द.प्र.सं. में परिवादपत्र के कथनों का समर्थन किया है और परिवादपत्र प्रदर्शक1 को तसदीक किया है।लेकिन अपनी जिरह में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसकी अभियुक्त से सुलह हो गयी है।अभियुक्त ने उसका पूरा दो लाख रूपया उसे वापस कर दिया है।अब मुलजिम से उसे कुछ लेना देना नही है।उसे अब कोई साक्ष्य नही देना है। ऐसी स्थिति में इस साक्षी के जिरह में ऐसी कोई बात नहीं आयी है,जिससे उसके उक्त साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके। अन्य कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है।

उपरोक्त समस्त परिशीलन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि परिवादी अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोप को सन्देह से परे सावित करने में असफल रहा है और अभियुक्त लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त उपेन्द्र साहनी को परक्राम्य लिखत अधिनियम1881 की धारा 138 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।वह जमानत पर रहा हैं।उसके बन्धपत्र व जमानत पत्र निरस्त कर उसके जामीन्दारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांक19.12.13

(एन.के.सिंह)
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी
बलिया

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित दिनांकित कर ,उद्घोषित किया गया।

दिनांक19.12.13

(एन.के.सिंह)
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी
बलिया

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPBL040009592013/truecopy/order-1.pdf

www.ecourtsindia.com
www.ecourtsindia.com
www.ecourtsindia.com
www.ecourtsindia.com
www.ecourtsindia.com
www.ecourtsindia.com
www.ecourtsindia.com
This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPBL040009592013/truecopy/order-1.pdf